

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर
पीठासीन अधिकारी :- प्यारेलाल सोठवाल (R.A.S.)

दावा संख्या
285/13

रजू दिनांक
03.10.2013

निर्णय दिनांक
22.10.2019

उनवान

1 रामकिशोर पुत्र मातादीन जाति चमार निवासी पदमाडा खुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

—: वादी

बनाम

1. रगबीर पुत्र गुरुबक्स जाति चमार निवासी पदमाडा खुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।
2. अमरसिंह पुत्र मकतूल
3. दुलीचन्द पुत्र मकतूल जाति बाबरिया (मृतक)
- 3/1 सावत्री वेबा दुलीचन्द
- 3/2 नन्दराम उर्फ सालिया पुत्र दुलीचन्द
- 3/3 बलवन्त पुत्र दुलीचन्द
- 3/4 अंगूरी पुत्री दुलीचन्द
4. मोहर पुत्र मकतूल जाति बाबरिया निवासी पदमाडा खुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
5. चन्द्रपति पत्नी उदयराम पुत्री मकतूल जाति बाबरिया निवासी पुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
6. नारायणी पत्नी श्योचन्द्र पुत्री मकतूल जाति बाबरिया निवासी दूनवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
7. छोटा पत्नी बिरजूराम पुत्र मकतूल जाति बाबरिया निवासी सूई तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर राज0।
8. सन्तुरा देवी पत्नी फूलाराम पुत्री मकतूल जाति बाबरिया निवासी सूई तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर राज0।
9. सन्ता देवी पत्नी सहीराम पुत्री मकतूल जाति बाबरिया निवासी माया तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़ राज0।
10. ताराचन्द पुत्र रामपत जाति चमार निवासी पटोदा तहसील व जिला झंझर (हरि0)।
11. उप पंजियक मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
12. राज0 सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।


—: प्रतिवादीगण

दावा 53,188 राज0 कास्त0 अधि0

—: अन्तिम पर्चा डिक्री :-

वादीगण की ओर से वकील श्री मदनलाल सावरिया की उपस्थित व प्रतिवादी की अनुस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 22.10.2019 को प्यारेलाल सोठवाल उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि—

“ न्यायालय वाद को खाता एवं लगान विभाजन बाबत अंतिम डिक्री करना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम पदमाडा खुर्द तहसील मुण्डावर, जिला अलवर में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 1074/679 रकबा 1.01 है0 लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार मुण्डावर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव क्रमांक-1229 दिनांक 31.05.2019 प्रदर्श-अ के


उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर जिला अलवर राज0

अनुसार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। कुर्रेजात प्रस्ताव प्रदर्श "अ" व वाद शीर्षक इस अन्तिम निर्णय व अन्तिम डिक्री का अगिन्न अंग रहेगा। दोनो पक्षो को सदैव के लिए पाबंद किया जाता है कि एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/रकबे/कब्जे काशत/हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकबे/हिस्से के विरुद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करे। उक्तानुसार हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 22.10.2019 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(प्यारेलाल सोहवाल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, मुण्डावर
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अजमेर) राज०

मूल वाद में (प्राथमिक) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :- सोहन राम चौधरी (R.A.S.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
285/2013	03.10.2013	28.11.2016

उनवान

1. रामकिशोर पुत्र मातादीन जाति चमार निवासी पदमाड़ा खुर्द, तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज0)
-: वादी

बनाम


1. रगबीर पुत्र गुरुबक्स जाति चमार निवासी पदमाड़ा खुर्द, तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज0)
2. अमरसिंह पुत्र मकतूल
3. दुलीचन्द पुत्र मकतूल जाति बावरिया (मृतक)
- 3/1 सावत्री बेवा दुलीचन्द
- 3/2 नन्दराम उर्फ सालिया पुत्र दुलीचन्द
- 3/3 बलवन्त पुत्र दुलीचन्द
- 3/4 अंगूरी पुत्री दुलीचन्द
4. मोहरसिंह पुत्र मकतूल जाति बावरिया निवासी पदमाड़ा खुर्द, तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज0)
5. चन्द्रपति पत्नी उदयराम पुत्री मकतूल जाति बावरिया निवासी पुर, तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)
6. नारायणी पत्नी श्योचन्द पुत्री मकतूल जाति बावरिया निवासी दूनवास, तहसील मुण्डावर जिला अलवर(राज0)
7. छोटा देवी पत्नी बिरजूराम पुत्र मकतूल जाति बावरिया निवासी सूई तहसील लूणकरणसर, जिला बीकानेर (राज0)
8. सन्तरा देवी पत्नी फूलाराम पुत्री मकतूल जाति बावरिया निवासी सूई तहसील लूणकरणसर, जिला बीकानेर (राज0)
9. सन्ता देवी पत्नी सहीराम पुत्री मकतूल जाति बावरिया निवासी माया तहसील पल्लू, जिला हनुमानगढ़ (राज0)
10. ताराचन्द पुत्र रामपत जाति चमार निवासी पटोदा तहसील व जिला झझर (हरि0)
11. उप पंजियक, मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज0)
12. राज0 सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, मुण्डावर जिला अलवर (राज0)

-: प्रतिवादीगण

दावा- खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

-: प्राथमिक पर्चा डिक्री :-


वादी की ओर से श्री मदनलाल सांवरिया एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 28.11.2016 को सोहन राम चौधरी उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष प्राथमिक निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-


28/11/16
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

“ न्यायालय दावा बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम पदमाडा खुर्द तहसील मुण्डावर स्थित भूमि खसरा नम्बर 1074/697 रकबा 1.01 है० का वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगा० 10 का खाता विभाजन कर लगान अलहेदा कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार मुण्डावर को आदेशित किया जाता है कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तो सम्बंधी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2004 को दृष्टिगत रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर आगामी तारीख पेशी 09.01.2017 से पूर्व इस न्यायालय में भिजवाये। प्रतिवादी सं. 1 लगा० 10 को सदैव के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी को मिलने वाले खसरे/रकबे/कब्जे काश्त/हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार को मिलने वाले हिस्से/रकबे/खसरा नम्बर के विरुद्ध दर्ज किया जावे। ”

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 28.11.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(सोहनराम चौधरी)

उपखण्ड अधिकारी

पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर
मुण्डावर (अलवर) राज०